[2019] 4 एस सी आर 331

प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण कलकत्ता, के तहत

भूमि (सीलिंग एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 1976 और और।

वी.

डेविड मंटोश और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 10629-10631 2014 आदि)

फरवरी 26,2019

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976:

एसएस। 12 (4) , 13 , 30 , 33 (1) , 33 (3) , 33 (4) और 40-अधिनियम के तहत अधिकतम कार्यवाही के अधीन विचाराधीन भूमि-उसके बाद आवंटित

उत्तरदाता को-30 साल के दीर्घकालिक पट्टे पर अस्पताल अधिसूचना यू/एस जारी की गई। 10 (3) अधिनियम को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुनौती दी गई थी-अधिसूचना को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था-हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रतिवादी के लिए किसी भी उचित उपाय का लाभ उठाने के लिए खुला था-इसके बाद

उत्तरदाता 1 से 7 ने यह घोषणा करने के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया कि

अधिनियम के तहत कार्यवाही जो यू/एस अधिसूचना जारी करने में समाप्त हुई। 10 (1) अधिनियम को अमान्य घोषित किया जाए और प्रत्यर्थियों को मुकदमे की संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए-ट्रायल कोर्ट मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था और इसे सीमा द्वारा भी वर्जित किया गया था-अपील में, उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि दीवानी अदालत को गुण-दोष के आधार पर मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था और इसलिए मुकदमा बनाए रखने योग्य था और वादी

(उत्तरदाता सं। 1 से 7) मुकदमे की संपत्ति के मालिक थे-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः यह अधिनियम अपने आप में एक स्व-निहित संहिता है जो अधिनियम के तहत निर्धारित अतिरिक्त भूमि के संबंध में भूमि मालिकों के अधिकार से निपटने के दौरान पूर्ण तंत्र प्रदान करता है-यह अधिनियम अपीलीय प्राधिकरण यू/एस द्वारा पारित आदेशों को अंतिम रूप देता है। 33 और यू/एस के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में दीवानी मुकदमे दायर करने के लिए भी रोक प्रदान करता है। 30 (5) और एस। 40 अधिनियम के अनुसार-इसलिए, अधिनियम के तहत अधिकतम कार्यवाही के अधीन भूमि के संबंध में दीवानी मुकदमों का मुकदमा चलाने के लिए दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र निहित रूप से वर्जित है-दीवानी अदालत को वर्तमान मामले में मांगी गई राहत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

सीलिंग कार्यवाही को देर से दी गई चुनौती बेमानी है

इसके अलावा, सूट संपत्ति का स्वामित्व हासिल करने के बाद राज्य

इसे अस्पताल को 30 साल के पट्टे पर आवंटित किया गया है और इसलिए स्थिति अपरिवर्तनीय हो गई है- अधिकार क्षेत्र।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की पूरी योजना दो बातों को स्पष्ट करती है। सबसे पहले, यह अधिनियम अपने आप में एक स्व-निहित संहिता है, जो पूरी व्यवस्था प्रदान करता है

अपनी भूमि के संबंध में भूमि-मालिकों के अधिकारों से निपटने के दौरान मशीनरी, जो अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक हैं। यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए पर्याप्त उपाय भी प्रदान करता है।

अधिनियम के तहत; और दूसरा, अधिनियम धारा 33 के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को अंतिम रूप देता है, और अधिनियम की धारा 30 (5) और धारा 40 के तहत आने वाले मामलों के संबंध में दीवानी मुकदमे दायर करने के लिए एक रोक भी प्रदान करता है। [पैरा 50] [348-बी, सी]

2. दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को विचाराधीन दीवानी मुकदमे का मुकदमा चलाने के निहितार्थ से बाहर रखा गया है। इसके लिए यह निम्नलिखित कारणः सबसे पहले, विचाराधीन अधिनियम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को अंतिम रूप देता है [धारा 33 (3) का संदर्भ लें]। दूसरा, अधिनियम की प्रकृति में पर्याप्त उपचार प्रदान करता है

अपील, जैसे कि न्यायाधिकरण में पहली अपील और दूसरी अपील

उच्च न्यायालय। [धारा 12 (4), 13 और 33 (1) का उल्लेख करें। तीसरा, यह अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और इससे अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

अन्य कानूनों पर (धारा 42 देखें)। चौथा, अधिनियम स्पष्ट रूप से

धारा 30 और 40 के तहत आने वाले मामलों के संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करता है (धारा 30 (5) और धारा 40 का संदर्भ लें)। पाँचवाँ, मुकदमे के पहले दौर में रिट याचिका और एस. एल. पी. को खारिज करने के परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचाराधीन अधिनियम के तहत कार्यवाही विचाराधीन अधिनियम के अनुरूप की गई थी। उपरोक्त पाँच कारणों के आलोक में-एक संयोग से, अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों के संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को निहित रूप से बहिष्कृत माना जाता है जिससे धुला बाई मामले के खंड (1) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया जाता है। इसलिए, भूमि के संबंध में दीवानी मुकदमों की सुनवाई करने के लिए दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र, जो अधिनियम के तहत अधिकतम कार्यवाही के अधीन थे, निहित रूप से वर्जित माना जाता है, क्योंकि अधिनियम इसमें शामिल नहीं है।

दीवानी न्यायालय की अधिकारिता।

[पैरा 54,55 और 56] [350-ए-एफ] भूमि के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण अधिनियम, 1976 v. डेविड मंटोश

3. शिकायत में मांगी गई राहत से यह स्पष्ट है कि वादी ने एक घोषणा की मांग की है कि अधिसूचना दिनांकित है।

12.02.1990 अधिनियम की धारा 10 के तहत जारी किए जाने को अमान्य घोषित किया जाए। कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर एक बयान को अमान्य घोषित किया जाए; और यह कि अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर बयान को अमान्य घोषित किया जाए। दीवानी न्यायालय के पास उपर्युक्त राहत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि इस तरह की राहत देने का उसका अधिकार क्षेत्र निहित रूप से इसके तहत वर्जित है -

एक्ट करें। [पारस 57,58] [350-जी, एच; 351-ए, बी]

4. यदि प्रत्यर्थी सं। 1 7 तक-वादी ने खुद को मुकदमे की संपत्ति के वैध मालिक और धारक होने का दावा किया

अन्य को छोड़कर, कानून में तीन उपाय उपलब्ध थे जिनका वे लाभ उठा सकते थेः (i) सबसे पहले, उन्हें एक उपाय प्राप्त हुआ जब प्रतिवादी संख्या 2 ने 30.11.1962 पर कथित विक्रेताओं से सूट संपत्ति खरीदने का दावा किया। द.

5. उत्तरदाता-वादी उचित समय पर तीन उपायों में से किसी का भी लाभ उठाने में विफल रहने के कारण, दिनांकित अधिसूचनाओं को चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका दायर करने के चौथे उपाय का सहारा लिया 11.05.1990 . हालाँकि, इस रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस अदालत ने एसएलपी में बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि की थी। इस न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. को खारिज करने का मुकदमे की संपत्ति के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों पर तीन गुना प्रभाव पड़ाः सबसे पहले, अधिनियम की धारा 6 से 12.02.1990 और 11.05.1990 पर जारी अधिनियम की धारा 10 (1) और (3) के तहत अधिसूचना जारी होने तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई पूरी कार्रवाई को [2019] 4 एस. सी. आर. के अनुरूप माना गया।

अधिनियम के प्रावधान। यह धुला बाई मामले के खंड (1) की अंतिम शर्त को संतुष्ट करता है। दूसरा, मुकदमे की संपत्ति अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत सभी बाधाओं से मुक्त राज्य में निहित थी। तीसरा, राज्य सरकार को कानूनी माना गया था

कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सभी को बाहर करने के लिए, 11.05.1990 पर और उसके बाद मालिक के रूप में वाद संपत्ति का कब्जा। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी Nos.1 से 7 के आधार पर दीवानी मुकदमा दायर करने का सहारा नहीं ले सका

इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी। [पारस 60-62] [351-F-H;

352 - ए-सी]

6. यदि वाद संपत्ति के संबंध में उत्तरदाताओं के लिए कोई उपाय उपलब्ध था, तो ऐसा कोई भी उपाय निम्नानुसार था -

अधिनियम लेकिन दीवानी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करके नहीं और मुकदमे की संपत्ति के संबंध में मुकदमे का एक नया दौर शुरू करें। अधिनियम के तहत दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण के आलोक में इस तरह के मुकदमे को निहित रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। [पैरा 63] [352-डी, ई]

7. विधानमंडल का इरादा अधिक स्पष्ट है

अधिनियम के तहत दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर

सवाल करते हैं। यह विचाराधीन अधिनियम की धारा 12 (4), 13,30,33 (1), 33 (3), 33 (5) और 40 के पठन से स्पष्ट है। [पारस 70 और 71] [355-सी, डी]

8. इस प्रकार, दीवानी अदालत के पास उस भूमि के संबंध में दीवानी मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो अधिकतम सीमा की कार्यवाही के अधीन है।

9. यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया था। 1 अधिकतम सीमा से 7 तक की कार्यवाही जो इसके खिलाफ आगे बढ़ी उनकी पीठ के पीछे क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दीवानी अदालत को इस संबंध में दीवानी मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही, एक विशेष और स्व-निहित अधिनियम है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या। 1 7/वादी किसी भी स्तर पर अधिकतम सीमा की कार्यवाही पर आपत्तियां उठाने में विफल रहने पर, वाद संपत्ति राज्य में निहित थी, जो सभी बाधाओं से मुक्त थी। इसके लिए देर से दी गई चुनौती बेमानी है। शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठाने में विफल रहने और इस न्यायालय तक किए गए दावे को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप, भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिवादी प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण अधिनियम, v.

डेविड मंटोश

नं. 1 7/वादी ने एक दीवानी मुकदमा दायर करके मुकदमे का एक नया दौर शुरू करने की मांग की, जिसे अधिनियम के तहत वर्जित किया गया था। इसके अलावा, राज्य ने सूट भूमि पर स्वामित्व प्राप्त करने के बाद 30 साल के पट्टे पर अस्पतालों को सूट भूमि आवंटित की है। इसलिए, स्थिति अब अपरिवर्तनीय हो गई है। [पारस 73-75] [355-H; 356-A-D]

10. इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ नहीं थी

प्रत्यर्थियों की अपील को अनुमति देने और दीवानी मुकदमे का आदेश देने में न्यायसंगत, जबकि निचली अदालत दीवानी मुकदमे को खारिज करने में सही थी। [पैरा 76] [356-डी]

धूला बाई बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 78): [1968]

इसके बाद एस. सी. आर. 662 आया।

बिहार राज्य बनाम। धीरेंद्र कुमार (1995) 4 एससीसी 229:

[1995] 3 एस. सी. आर. 857; लक्ष्मी चंद बनाम ग्राम पंचायत

करिया (1996) 7 एस. सी. सी. 218: [1995] 4 पूरक। एससीआर 774;

बैंगलोर विकास प्राधिकरण बनाम। के. एस. नारायण

(2006) 8 एससीसी 336: [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर 186; राज्य

पंजाब बनाम. अमरजीत सिंह (2011) 14 एस. सी. सी. 713

पर।

मामला कानून संदर्भ

[1968] एससीआर 662

पै

रा 51

पीछा किया।

[1995] 3 एससीआर 857

उस पर भरोसा करें

पै

रा 65

[1995] 4 पूरक। एससीआर 774

उस पर भरोसा करें

पै

रा 67

[2006] 7 पूरक। एससीआर 186

उस पर भरोसा करें

पै

रा 69

(2011) 14 एस. सी. सी. 713

उस पर भरोसा करें

पै

रा 69

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 10629

10631 2014 का

उच्च न्यायालय के 27.09.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 के एफ. ए. सं. 202 में कलकत्ता का न्यायालय और 2008 के एफ. ए. सं. 202 में 2014 के सी. ए. एन. 1450 के साथ 2014 के आर. वी. डब्ल्यू. 36 में दिनांकित आदेश।

के साथ

सिविल अपील सं। 9829-9830 , 9900 2016 से।

कल्याण बंदोपाध्याय, सी. यू. सिंह, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, [2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुज सरमा, सुश्री रेम्या राज (मेसर्स के लिए)। के. जे. जॉन एंड कंपनी), अनुभव रे, कृष्णा परखानी, अंकोलेकर गुरुदत्त, चंदन श्रीकांत मालापुर, देबरशी भुइयां, एड. उपस्थित दलों के लिए।

चार्ल्स मंटोश, व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. सी. ए. सं. 10629-10631

2014 का निर्णय और आदेश दिनांक 27.09.2013 के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा एफ. ए. सं. 202/2008, निर्णय और आदेश दिनांक 24.07.2014 में दायर किया गया है। एफ. ए. No.202/2008 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

2. सी. ए. सं. 9829-9830 2016 का मामला मेसर्स अपोलो ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल्स लिमिटेड द्वारा एफ. ए. में 27.09.2013 दिनांकित फैसले और आदेश के खिलाफ दायर किया गया है।

एफ. ए. में आर. वी. डब्ल्यू. सं. 117/2014 में दिनांकित 24.07.2014 के निर्णय और आदेश के खिलाफ सी. ए. एन. No.1054/2014 और सी. ए. सं. <आई. डी. 4 के साथ No.202/2008।

No.202/2008 कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया। 3. इन अपीलों में शामिल विवाद की सराहना करने के लिए, तथ्यों को विस्तार से निर्धारित करना आवश्यक है, जिसके कारण ये दायर किए गए

अपीलें करें। नीचे दिए गए तथ्य पक्षों द्वारा दायर की गई तिथियों की सूची से लिए गए हैं।

5. यह विवाद भूमि धारक No.73, होल्डिंग No.42, कैनाल सर्कुलर रोड, कलकत्ता-700 054 से संबंधित है, जिसका माप लगभग 2 बीघा, 2 काटा, 4 है। चटक और 25 वर्ग कि. मी. फीट। (जो लगभग 29 बीघा भूमि के एक बड़े हिस्से का हिस्सा है और उससे सटा हुआ है (जिसे इसके बाद "सूट संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

6. अब्दुल जब्बार नाम के व्यक्ति ने दावा किया कि उसने सूट की संपत्ति खरीदी है।

एक नीलामी बिक्री में 29.07.1919 पर। बदले में, उसने इसे 29.09.1927 पर मौला अताउल हक को बेचने का दावा किया, जिसने बदले में, इसे 15.08.1933 पर पूनम चंद सेठिया को बेचने का आरोप लगाया।

7. श्री पूनम चंद सेठिया ने बदले में 17.08.1933 पर दावा किया कि उन्होंने मुकदमे की संपत्ति को एक मोती चंद नखत, भूमि (सीलिंग एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 1976 के तहत अमृत द कॉम्पीटेंट अथॉरिटी कलकत्ता को हस्तांतरित कर दिया है।

डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

लाल शाह, ठाकुर लाल मेहता और चंपा लाल दफतरी, एक न्यास के न्यासी होने के नाते, जिन्होंने बदले में, मूल वादी के हित में इसे श्री पी. एस. मंटोश-पूर्ववर्ती-को हस्तांतरित करने का दावा किया, जिनका प्रतिनिधित्व अब उनके कानूनी प्रतिनिधियों (प्रतिवादी संख्या। 1 से 7)।

8. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1933 के बाद 30.11.1962 तक, सूट संपत्ति विभिन्न पक्षों के बीच कई हस्तांतरणों से गुजरी। यह.

मुकदमा संपत्ति रखने का दावा करने वाले पक्षों के बीच दीवानी और आपराधिक कार्यवाही का विषय भी था। हम, हालाँकि, इन विवरणों को यहाँ निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

9. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अंततः सूट संपत्ति और उसके आस-पास की भूमि Nos.73,60,72, आदि श्री के हाथों में आ गई।

मोनीलाल गोयी और श्री बिजय कुमार गोयी, जिन्होंने बदले में, इसे मैसर्स हिंदुस्तान हाउसिंग को 15.06.1957 पर बेचने का दावा किया। मैसर्स हिंदुस्तान हाउसिंग ने बदले में, मैसर्स ओरिएंट बेवरेज लिमिटेड (जिसे इसके बाद "मैसर्स ओ. बी. एल". के रूप में संदर्भित किया गया है) को दिनांक 30.11.1962 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से सूट संपत्ति को बगल की भूमि के साथ हस्तांतरित कर दिया।

10. 17.02.1976 पर, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम,

1976 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) लागू हुआ। उसी दिन इसका विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया था। सूट की संपत्ति साथ-साथ इस अधिनियम की धारा 2 (0) के तहत आस-पास की भूमि एक "शहरी भूमि" थी, और अधिनियम की धारा 2 (एन) द्वारा परिभाषित शहरी समूह के अंतर्गत आ रही थी।

11. मेसर्स ओ. बी. एल. अधिनियम की धारा 2 (i) के तहत एक "व्यक्ति" होने का दावा करता है और अधिनियम की धारा 2 (1) के तहत वाद संपत्ति को "धारण" करने का दावा करता है। अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक अधिनियम ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत 15.09.1976 पर एक बयान दायर किया।

12. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि बयान में मेसर्स ओ. बी. एल. ने सूट संपत्ति को एक खाली भूमि के रूप में दिखाया, और प्रार्थना की कि उन्हें अनुमति दी जाए।

13. तथापि, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 27.09.1988 के आदेश द्वारा मेसर्स ओ. बी. एल. द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति के परिणामस्वरूप एम/एस ओ. बी. एल. निर्धारित अधिकतम सीमा से परे उनके द्वारा धारण की गई पूरी अतिरिक्त भूमि के कब्जे को सौंपने के लिए सहमत है। 04.01.1990 पर, मेसर्स ओ. बी. एल. ने तदनुसार भूमि संख्या पर अपने कब्जे को सौंप दिया।

60 , 72 , 73 , 79 , & 81 कैनाल सर्कुलर रोड, कलकत्ता में राज्य के पक्ष में स्थित है। उक्त समर्पण में मुक़दमे की संपत्ति भी शामिल थी। भूमि और भूमि सुधार विभाग के उप सचिव ने तब मैसर्स ओ. बी. एल. को अधिनियम की धारा 8 से 10 के तहत आवश्यकतानुसार बयान दाखिल करने का निर्देश दिया। 14. 22.01.1990 पर, मेसर्स ओ. बी. एल. ने सक्षम प्राधिकरण को सूचित किया कि वे मुक़दमे की संपत्ति के कब्जे को सौंपने के लिए तैयार हैं

अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार उन्हें मुआवजा देने के अधीन। 08.02.1990 पर, सक्षम प्राधिकारी ने मैसर्स ओ. बी. एल. पर अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतिम बयान दिया। इसके कारण राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई जिसे कलकत्ता राजपत्र असाधारण में 15.02.1990 पर विधिवत प्रकाशित किया गया था, जिसमें राज्य सरकार से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।

आम जनता। हालाँकि, सक्षम प्राधिकरण को प्रकाशित सूचना के अनुसार किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं मिली। यह

इसके बाद 11.05.1990 पर धारा 10 (3) के तहत अंतिम अधिसूचना जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य में सूट संपत्ति को सभी बाधाओं से मुक्त कर दिया गया।

15. सक्षम प्राधिकरण ने 23.05.1990 पर मेसर्स ओ. बी. एल. को नोटिस जारी कर उनसे भौतिक रूप से अपने कब्जे को सौंपने का आह्वान किया।

राज्य को सूट संपत्ति, जो 28.05.1990 पर की गई थी। 16. पश्चिम बंगाल राज्य (अपीलकर्ता संख्या 2 यहाँ) ने 04.04.1991 पर निकटवर्ती भूमि के साथ सूट संपत्ति (No.73) आवंटित की।

इसका क्षेत्रफल लगभग 34,147 वर्ग किलोमीटर है। परिसर संख्या वाले मीटर। 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 72 , 73 , 79 , & 81 कैनाल सर्कुलर रोड से प्रतिवादी संख्या 8 (प्रतिवादी संख्या 1-मेसर्स अपोलो ग्लेनीगल्स अस्पताल) को 30 साल के दीर्घकालिक पट्टे पर। प्रत्यर्थी संख्या 8 (प्रतिवादी संख्या 1) को तब राज्य से भूमि का अधिकार दिया गया था। राज्य ने मेसर्स अपोलो ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल्स के पक्ष में 02.12.1994 दिनांकित पट्टा विलेख निष्पादित किया।

इसके बाद, मेसर्स अपोलो ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल्स ने भारी लागत पर एक अस्पताल की स्थापना की, और पिछले दो दशकों से अपना अस्पताल चला रहा है। 17. वर्ष 1992 में, प्रतिवादी संख्या 1 (वादी संख्या 1) उसकी नींद से जागी, और मुकदमे का मालिक और धारक होने का दावा किया।

संपत्ति और आस-पास की भूमि का हिस्सा। वादी ने दुखी महसूस किया

11.05.1990 पर धारा 10 (3) के तहत जारी अधिसूचना और कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका (WP No.1382/1992) दायर की गई।

भूमि (सीलिंग एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण अधिनियम, v. डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

18. एकल न्यायाधीश ने 26.08.1992 दिनांकित आदेश के माध्यम से रिट याचिका की अनुमति दी और 11.05.1990 दिनांकित अधिसूचना को रद्द कर दिया।

19. प्रत्यर्थी संख्या 8 (अपोलो ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल्स लिमिटेड) ने एकल न्यायाधीश के दिनांक 26.08.1992 के आदेश से व्यथित महसूस किया और दायर किया

उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपील No.324/1993।

20. डिवीजन बेंच ने आदेश 03.04.1997 के माध्यम से अपील को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया, और रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, अधिसूचना दिनांक 11.05.1990 द्वारा जारी की गई

राज्य को कानूनी और वैध माना गया और तदनुसार बहाल किया गया।

21. प्रतिवादी संख्या 1 ने खंड पीठ के फैसले से व्यथित महसूस किया और एस. एल. पी. दायर की। (ग) इस न्यायालय में 1997 की सं. 12726। दिनांक 28.07.1997 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया। हालाँकि, इस न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) के पास अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई उचित उपाय है, तो वह कानून के अनुसार इसका लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होगी।

22. यह इस पृष्ठभूमि में है, कि प्रतिवादी सं। 1 7 दायर सिविल सूट (टी. एस. सं. 101/1998) जिसमें से वर्तमान अपीलें उत्पन्न होती हैं। सूट।

वर्तमान अपीलार्थियों, अर्थात, अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल राज्य और प्रतिवादी संख्या के खिलाफ दायर किया गया था। 8 और 9 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सियालदह के न्यायालय में।

23. दीवानी मुकदमा मुकदमे की संपत्ति की घोषणा और कब्जे के लिए दायर किया गया था। वादी ने एक घोषणा का दावा किया कि पूरे

मुकदमे की संपत्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत अधिसूचना जारी करने में समाप्त होने वाली कार्यवाही को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए और वादी को मुकदमे की संपत्ति का मालिक घोषित किया जाना चाहिए। मुकदमे में जिन राहतों का दावा किया गया है वे इस प्रकार हैंः

" (क) एक घोषणा कि अधिसूचना No.53-X-U. L. (कैल)

दिनांक 12 फरवरी, 1990 अमान्य है।

क) शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उप-धारा 1 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर बयान की घोषणा जहां तक यह परिसर No.73, कैनाल सर्कुलर रोड से संबंधित है, अमान्य है।

कलकत्ता सूट परिसर है;

ख) एक घोषणा कि द्वारा तैयार किया गया मसौदा विवरण

शहरी भूमि [2019] 4 एस. सी. आर. की धारा 8 के तहत प्रतिवादी संख्या 3।

(अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर बयान के आधार पर अमान्य है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है जहां तक इसका संबंध है

सूट संपत्ति;

ग) एक घोषणा कि 4 अप्रैल, 1991 का पत्र No.1500-यूएल/एवी-11/19 और/या प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वाद परिसर का कथित आवंटन।

निष्क्रिय, मिलीजुली, धोखाधड़ी और शून्य है;

घ) एक घोषणा कि वादी के मालिक हैं

परिसर No.73, कैनाल सर्कुलर रोड, कलकत्ता और वादी मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार हैं। मालिक के रूप में;

ई) बेदखल करने वाले कब्जे की वसूली के लिए एक डिक्री

मुक़दमा संपत्ति से प्रतिवादी संख्या 1;

च) प्रतिवादी संख्या 1 से अवैध उपयोग के लिए लाभ और/या हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपये की राशि के लिए एक डिक्री और

सूट परिसर का कब्जा;

छ) सूट की लागत;

ज) ऐसी अन्य या आगे की राहत या राहत कि वादी

कानून या इक्विटी में हकदार हो सकता है। 99 '

24. अपीलार्थी-पश्चिम बंगाल राज्य, सक्षम प्राधिकारी, प्रत्यर्थी सं। 8 और इसमें 9 ने अपने-अपने लिखित आवेदन दाखिल किएभावनाएँ।

25. विचारण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित प्रावधान किए:

यूएएसः

" 1. क्या मुकदमे के लिए कार्रवाई का कोई कारण है?

2 .

क्या सूट रखरखाव योग्य है?

3 .

क्या मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है?

क्या सूट आवश्यक पक्षों के गैर-जॉइंडर के लिए बुरा है?

4 .

क्या वादी का इस पर कोई अधिकार और हित है

5 .

सूट में जमीन?

क्या मुक़दमे की संपत्ति राज्य में निहित है?

6 .

भूमि (सीलिंग एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण अधिनियम, v. डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

क्या वादी घोषणा के लिए डिक्री प्राप्त करने का हकदार है

7 .

कि अधिसूचना No.53-X-UL (Cal) दिनांक 12.02.1990 अमान्य है, या एक घोषणा है कि शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर बयान अमान्य या घोषणा है।

कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा तैयार किया गया बयान अमान्य है या यह घोषणा कि No.1500-यूएल/एवी/II/19 दिनांकित 04.04.1981 पत्र और प्रतिवादी संख्या 1 को वाद परिसर का कथित आवंटन निष्क्रिय है,

सांठगांठ, धोखाधड़ी और शून्य?

क्या वादी घोषणा के लिए एक डिक्री का हकदार है कि

8 .

वादी सह-स्वामी के रूप में वाद संपत्ति के कब्जे का हकदार है?

क्या वादी वसूली के लिए डिक्री प्राप्त करने का हकदार है

9 .

बेदखल करके मुक़दमे की संपत्ति का कब्जा प्रतिवादी नंबर 1 वहाँ से?

10. क्या वादी इसके खिलाफ 1 करोड़ रुपये के डिक्री का हकदार है?

प्रतिवादी और अन्य लाभ?

11. वादी किस अन्य राहत, यदि कोई हो, का हकदार है? ”

26. इसके बाद पक्षों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। ट्रायल कोर्ट ने 24.04.2008 के फैसले और डिक्री के माध्यम से वादी के खिलाफ सभी 11 मुद्दों का जवाब दिया (प्रतिवादी संख्या। 1 से 7) और मुक़दमा खारिज कर दिया

जिसने वादी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील (No.202/2008) दायर करने को जन्म दिया-प्रतिवादी संख्या। 1 7 तक।

27. खंड पीठ ने विवादित फैसले के माध्यम से वादी की अपील को स्वीकार कर लिया, और मुकदमे के फैसले और फरमान को दरकिनार कर दिया

अदालत ने, और वादी द्वारा दायर मुकदमे का फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा कायम रखने योग्य है; कि यह वर्जित नहीं है; कि दीवानी न्यायालय के पास गुण-दोष के आधार पर दीवानी मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है; कि वादी मुकदमे की संपत्ति के मालिक हैं; कि सक्षम अधिकारियों ने अधिनियम के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया; कि अधिनियम के तहत कार्यवाही वादी पर बाध्यकारी नहीं है; कि अपीलकर्ता-अपोलो ग्लेनीगल्स अस्पताल मुकदमे की संपत्ति के अनधिकृत कब्जे में थे और उन्हें मुकदमे की संपत्ति के खाली कब्जे को देने का निर्देश दिया गया था।

वादी, या वैकल्पिक रूप से, वादी को 3 महीने के भीतर अपने मूल्य का भुगतान करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय में वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं, जो सिविल अपील सं. के रूप में पुनः क्रमांकित। 10629-10631 / 2014 .

29. इन अपीलों में विचार के लिए जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अनुमति देने में न्यायसंगत था

वादी द्वारा दायर अपील (प्रत्यर्थी सं। 1 से 7) और मुक़दमे का आदेश देना।

30. हमने श्री कल्याण बंदोपाध्याय को सुना है, जो अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हैं-पश्चिम बंगाल राज्य और

सक्षम प्राधिकारी, श्री सी. यू. सिंह ने अपीलार्थी-मेसर्स अपोलो ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल्स और श्री ध्रुव मेहता, प्रतिवादी-वादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की ओर से पेश वरिष्ठ वकील को सीखा।

31. सक्षम प्राधिकारी के वकील ने अन्य बातों के साथ प्रस्तुत किया

कि -

(i) वादी द्वारा मांगी गई राहत सिविल कोर्ट द्वारा प्रदान नहीं की जा सकी, क्योंकि सिविल सूट अधिनियम के तहत वर्जित था। अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, यह अधिनियम एक स्व-निहित अधिनियम है जो भूमि धारकों को किसी भी कार्रवाई को चुनौती देने के लिए पर्याप्त उपाय प्रदान करता है, और सक्षम अधिकारियों द्वारा संशोधन/अपील में पारित आदेश, जैसा भी मामला हो, अधिकतम सीमा की कार्यवाही में।

अधिनियम के तहत ही।

((ii) यह आगे तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या। 1 7 अपनी कानूनी लड़ाई हारने के बाद, जिसने मुकदमेबाजी के पहले दौर में इस न्यायालय तक अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था, मुकदमे की संपत्ति से संबंधित सभी मुद्दे

पहले ही समाप्त हो चुका था। विद्वान वकील के अनुसार, मुकदमे की संपत्ति के संबंध में कोई मुद्दा निर्णय के लिए नहीं बचा था

कोई भी न्यायालय, सिविल न्यायालय से बहुत कम।

(iii) यह आगे तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत अधिसूचना जारी करने का कानूनी प्रभाव 12.02.1990 पर, जिसके बाद 11.05.1990 पर धारा 10 (3) के तहत परिणामी अंतिम अधिसूचना जारी की गई, यह था कि वाद संपत्ति राज्य में सभी बाधाओं से मुक्त थी। इसलिए, कोई व्यक्ति नहीं

मुकदमा संपत्ति पर और उसके बाद राज्य में निहित होने के बाद मुकदमा संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व और ब्याज का दावा करने का कोई अधिकार है

11.05.1990 .

भूमि के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण कलकत्ता (सीलिंग औरयूलेशन) अधिनियम, 1976 बनाम। डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

(iv) अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि वादी द्वारा दायर दीवानी मुकदमा (प्रतिवादी संख्या। 1 से 7) था सीमा द्वारा वर्जित, क्योंकि वादी सूट संपत्ति पर स्वामित्व के अपने कथित अधिकार का लाभ नहीं उठाकर सो गए थे

अधिनियम के तहत उपचार।

(v) अपीलार्थियों के विद्वान वकील के अनुसार, जब मेसर्स ओ. बी. एल. ने 1962 में मुक़दमे की संपत्ति खरीदने का दावा किया, तो

(vi) यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी-वादी ने अधिकतम सीमा की कार्यवाही के लंबित होने के किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। धारा 10 (1) के तहत। इसलिए, मुकदमा संपत्ति में किसी भी अधिकार, स्वामित्व और हित का दावा करने का उनका अधिकार, यदि कोई हो, परिणामस्वरूप समाप्त हो गया।

धारा 10 (3) के तहत राज्य में वाद संपत्ति के निहित होने पर

11.05.1990 पर और उसके बाद अधिनियम।

32. अपोलो ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल्स के विद्वान वरिष्ठ वकील

विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति को विस्तार से बताते हुए

कल्याण बंदोपाध्याय ने प्रस्तुत किया किः

(i) वाद संपत्ति अधिनियम द्वारा शासित होती है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में अभी भी चल रहा है। इसके परिणामस्वरूप,

विद्वान वकील के अनुसार, एक दीवानी मुकदमे को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा और इसलिए उत्तरदाताओं के पास एक उपाय था जो अधिनियम के तहत उपलब्ध है। यह आग्रह किया गया कि यह अधिनियम एक पूर्ण संहिता होने के नाते विवादों के निर्णय के लिए अधिकार, उपचार और मंच बनाता है और इसलिए उत्तरदाता संख्या 1 से 7 द्वारा दायर दीवानी मुकदमा नहीं होगा।

बनाए रखने योग्य।

((ii) कि किसी भी स्थिति में उत्तरदाता संख्या। 1 7 मुकदमे की संपत्ति पर स्वामित्व और कब्जे के अपने दावे को स्थापित करने में विफल रहे थे।

प्रतिवादी सं. द्वारा स्थापित वाद। 1 7 तक को भी सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि वादी/प्रतिवादी संख्या। 1 7 तक 1962 से सूट संपत्ति के कब्जे में नहीं थे। शहरी भूमि सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की गई थी

17.02.1976 पर और अधिनियम की योजना के अनुसार, मुकदमे का मालिक [2019] 4 एस. सी. आर.

संपत्ति को वापसी दाखिल करने के लिए बाध्य किया गया था, क्योंकि मुकदमा संपत्ति अधिकतम सीमा से परे थी।

(iii) वादी/प्रतिवादी संख्या। 1 7 ने दावा किया कि उनके पूर्ववर्ती-ब्याज में। अर्थात् सुश्री डेज़ी मंटोश परिसर संख्या 71/1,60,72 और 73 कैनाल सर्कुलर रोड की मालिक थीं और चूंकि भूमि का विस्तार अधिकतम सीमा से अधिक था, फिर भी उन्होंने मुकदमे की संपत्तियों के संबंध में कोई विवरणी दाखिल नहीं की।

(iv) दूसरी ओर, मेसर्स ओरिएंट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (मेसर्स ओरिएंट बेवरेजेज लिमिटेड "ओ. बी. एल". के रूप में पुनर्नामित) ने अधिनियम की धारा 6 के तहत एक विवरणी प्रस्तुत की, और अतिरिक्त भूमि को बनाए रखने के लिए धारा 21 के तहत एक आवेदन भी किया, जिसे 27.09.1986 पर अस्वीकार कर दिया गया था।

(v) भूमि और सुधार विभाग ने 04.04.1991 पर सूट संपत्ति को मेसर्स जनप्रिय अस्पताल निगम लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया, जिसे बाद में अपोलो ग्लेनीगल्स अस्पताल के रूप में पुनर्नामित किया गया।

अस्पताल। यह 30 वर्षों के लिए पट्टे को निष्पादित करके किया गया था, जिसके लिए रु। 98 , 41,300 राज्य को भुगतान किया गया। तब से सभी सुविधाओं के साथ एक बड़ा अस्पताल स्थापित किया गया है।

33. श्री ध्रुव मेहता, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित हुए। 1 7/वादियों को और तर्क का समर्थन किया और विवादित आदेश में उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निष्कर्ष। अन्य बातों के साथ यह तर्क दिया गया था कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया था।

34. वकील ने प्रस्तुत किया कि एक गैर-अनुपालन था

वाद संपत्ति से निपटने के दौरान अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम। आधिकारिक राजपत्र में केवल एक अधिसूचना अधिनियम के तहत निहित होने के लिए पर्याप्त नहीं थी। विद्वान वकील के अनुसार, अधिसूचना उचित सुनिश्चित किए बिना जारी की गई थी नियमों के साथ पठित अधिनियम का अनुपालन और इसलिए अपीलार्थियों को वाद संपत्ति सौंपने की पूरी प्रक्रिया दूषित और कानून की दृष्टि से खराब थी।

35. तब यह तर्क दिया गया कि दीवानी मुकदमा बनाए रखने योग्य था और दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को निहित रूप से बाहर नहीं रखा गया था क्योंकि दीवानी मुकदमा अदालत की खंड पीठ के निर्देशों के अनुसार दायर किया गया था।

2007 के एस. एल. पी. (सी) सं. 12726 में कलकत्ता उच्च न्यायालय और यह न्यायालय। इस न्यायालय ने अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध उपचार को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ उक्त एसएलपी को दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। यह. प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाता सं।

1 7/वादी भूमि (सीलिंग एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण थे। डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

मुकदमे की संपत्ति से अवैध रूप से बेदखल (क्योंकि उन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में उचित और वैध नोटिस नहीं दिया गया था), प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

36. इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, यहां तक कि जहां कोई क़ानून किसी निर्णय को अंतिम रूप देता है, ऐसा प्रावधान ऐसे मामलों को बाहर नहीं करता है जहां -

विशेष क़ानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, या न्यायाधिकरण ने क़ानून या न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। अतः, प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर दीवानी मुकदमा। 1 7/वादी रखरखाव योग्य था और कानून द्वारा वर्जित नहीं था। 37. यह प्रतिवाद करने की मांग की गई थी कि प्रत्यर्थी के अधिकार, अधिकार और हित सं। 1 7/वाद संपत्ति में वादी आम हैं

कानून के अधिकार और अधिनियम से उत्पन्न नहीं होते हैं और इसलिए, केवल एक दीवानी अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

39. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि इसलिए दीवानी न्यायालय पक्षों के बीच विवादों के निर्णय के लिए उचित मंच था क्योंकि अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने मुकदमे की संपत्ति के संबंध में आपस में सांठगांठ की थी और प्रतिवादी संख्या पर धोखाधड़ी की थी। 1 7/वादियों को। इसलिए, दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाकर न्यायाधिकरण द्वारा विवाद का फैसला नहीं किया जा सकता था। 40. अंत में, वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि 29.06.1998 पर दायर दीवानी मुकदमा प्रतिवादी संख्या की कार्रवाई के कारण से सीमा के भीतर था। 1 7/वादी को मुकदमा दायर करने के लिए केवल तभी परिपक्व किया गया जब इस न्यायालय ने 28.07.1997 दिनांकित आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले SLP (C) संख्या <ID2 का निपटारा किया था। 1 7/वादी को अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई उचित उपाय करने के लिए।

41. हमने विद्वान वरिष्ठ वकीलों को उनकी ओर से उपस्थित होते हुए सुना है

पक्षकारों और लिखित प्रस्तुतियों सहित मामले के अभिलेख का अवलोकन किया। हम अपीलार्थियों-प्रतिवादियों की ओर से आगे की गई दलीलों में बल पाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. इन अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले तीन प्रमुख मुद्दे हैंः

पहला, क्या उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित ठहराया गया था कि सिविल न्यायालय के पास वाद संपत्ति के संबंध में दीवानी मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, जो इसके तहत अधिकतम कार्यवाही के अधीन था।

अधिनियम।

दूसरा, क्या सिविल न्यायालय के पास अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा की कार्यवाही को अमान्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है, भले ही उसने इस न्यायालय तक मुकदमे के पहले दौर में अंतिमता प्राप्त कर ली हो।

तीसरा, क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित था कि वादी वाद संपत्ति के मालिक हैं और अपीलार्थी से वाद संपत्ति या उसके मूल्य के कब्जे का दावा करने के हकदार हैं -

मेसर्स अपोलो ग्लेनीगल्स अस्पताल।

43. इससे पहले कि हम उपर्युक्त तीन मुद्दों की जांच करें, पहले विचाराधीन अधिनियम की योजना की जांच करना आवश्यक है और

वर्तमान अपीलों में उठाए गए मुद्दों को नियंत्रित करने वाली विधि। 44. विचाराधीन अधिनियम को शहरी समूहों में खाली भूमि पर अधिकतम सीमा लागू करने, अधिकतम सीमा से अधिक ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए, ऐसी भूमि पर भवन निर्माण को विनियमित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इसे कुछ व्यक्तियों के हाथों में शहरी भूमि के केंद्रीकरण को रोकने और आम भलाई के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि के समान वितरण को लाने की दृष्टि से अटकलों और मुनाफाखोरी के उद्देश्य से लागू किया गया था।

45. इस अधिनियम में 47 धाराएँ हैं। धारा 2 (ए) से (क्यू) अधिनियम में उपयोग की जाने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है। धारा 3 व्यक्ति को रखने से रोकती है।

अधिनियम के लागू होने के बाद अधिकतम सीमा से अधिक भूमि। धारा 4 किसी भी व्यक्ति द्वारा भूमि पर कब्जा करने की अधिकतम सीमा को निर्दिष्ट करती है। धारा 5 अपने धारक द्वारा खाली भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है।

धारा 6 में अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरण दाखिल करने का प्रावधान है। धारा 7 उस स्थिति में भी विवरण दाखिल करने से संबंधित है जब भूमि दो या दो से अधिक लोगों के अधिकार क्षेत्र में स्थित है।

सक्षम अधिकारी। धारा 8 अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि के संबंध में मसौदा विवरण तैयार करने से संबंधित है। धारा 9 अंतिम कथन तैयार करने से संबंधित है। धारा 10 अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है।

भूमि (सीलिंग एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण अधिनियम, v. डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

46. धारा 11 में अधिग्रहित खाली भूमि के लिए राशि के भुगतान का प्रावधान है। धारा 12 न्यायाधिकरण के गठन और न्यायाधिकरण में अपील करने का प्रावधान करती है। धारा 13 में उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर करने का प्रावधान है।

न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध न्यायालय। धारा 14 भुगतान के तरीके का प्रावधान करती है। धारा 15 उत्तराधिकार, वसीयत या डिक्री आदि के निष्पादन में बिक्री द्वारा भविष्य के अधिग्रहण पर अधिकतम सीमा का प्रावधान करती है। धारा 16 कथन दाखिल करने से संबंधित है जब अधिनियम को राज्य द्वारा बाद में अपनाया जाता है। धारा 17 किसी भी खाली भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति से संबंधित है। धारा 18 खाली भूमि के विवरण को छिपाने के लिए दंड लगाने का प्रावधान करती है। धारा 19 में अपवर्जन खंड का प्रावधान है -

कुछ निर्दिष्ट भूमि मालिकों के लिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता। धारा 20 किसी भी भूमि को छूट देने की शक्ति से संबंधित है।

47. धारा 21 में प्रावधान है कि कुछ मामलों में अतिरिक्त भूमि को अतिरिक्त भूमि नहीं माना जाना चाहिए। धारा 22 खाली भूमि के प्रतिधारण से संबंधित है। कुछ परिस्थितियों में। धारा 23 और 24 अधिनियम के तहत अधिग्रहित खाली भूमि के निपटान से संबंधित हैं। धारा 25 निश्चित रूप से परिभाषित करती है

अभिव्यक्तियाँ। धारा 26 खाली भूमि के हस्तांतरण से पहले नोटिस देने का आदेश देती है। धारा 27 शहरी संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है। धारा 28 दस्तावेजों के पंजीकरण के विनियमन से संबंधित है।

कुछ मामलों में। धारा 29 आवासीय इकाइयों के साथ भवन निर्माण के विनियमन से संबंधित है। धारा 30 भवन को ध्वस्त करने और रोकने की शक्ति प्रदान करती है। यह धारा 30 के तहत आने वाले मामलों के संबंध में दीवानी अदालत में अपील करने और मुकदमा दायर करने पर रोक लगाने का अधिकार भी प्रदान करता है।

48. धारा 31 सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों से संबंधित है। धारा 32 सक्षम प्राधिकारियों और न्यायाधिकरण की अधिकारिता से संबंधित है।

49. धारा 40 में फिर से सरकार और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने या अन्य कानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। किसी भी चीज का, जो सद्भावना से किया जाता है या अधिनियम द्वारा या उसके तहत करने का इरादा है। धारा 41 अपराधों के संज्ञान से संबंधित है। धारा 42 अन्य कानूनों पर अधिनियम का प्रबल प्रभाव देती है। धारा 43 [2019] 4 एस. सी. आर. को निर्दिष्ट करती है।

आवेदनों, अपीलों या अन्य कार्यवाहियों पर देय न्यायालय शुल्क

50. ऊपर दी गई अधिनियम की पूरी योजना से दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला, यह अधिनियम अपने आप में एक स्व-निहित संहिता है, जो भूमि-मालिकों के अधिकारों से निपटने के दौरान पूर्ण तंत्र प्रदान करता है। उनकी भूमि के संबंध में, जो अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है। यह अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए पर्याप्त उपाय भी प्रदान करता है और दूसरा, अधिनियम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अंतिम रूप देता है।

धारा 33 के तहत, और अधिनियम की धारा 30 (5) और धारा 40 के तहत आने वाले मामलों के संबंध में दीवानी मुकदमे दायर करने के लिए एक रोक भी प्रदान करता है।

51. धूला बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 78) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस प्रश्न की जांच की कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के संदर्भ में सिविल मुकदमे की सुनवाई में सिविल न्यायालय की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कब बाहर रखा जा सकता है।

52. तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने अपनी अनूठी शैली में पीठ की ओर से बोलते हुए उपरोक्त प्रश्न की जांच के लिए 7 परीक्षण निर्धारित किए। ये परीक्षण इस प्रकार हैं:

" (1) जहां कानून विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को अंतिम रूप देता है, वहां दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपाय है जो दीवानी अदालत आम तौर पर एक मुकदमे में करती है। इस तरह का प्रावधान,

हालाँकि, उन मामलों को बाहर नहीं करता है जहाँ

विशेष अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है या सांविधिक न्यायाधिकरण ने अनुरूप कार्य नहीं किया है न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के साथ।

(2) जहां न्यायालय की अधिकारिता की एक स्पष्ट बाधा है, वहां प्रदान किए गए उपचारों की पर्याप्तता या पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना की जांच प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है। जहां कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है, उपचारों की जांच और इरादे का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना भूमि के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण बन जाती है।

यूलेशन) अधिनियम, 1976 बनाम। डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

आवश्यक है और जाँच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। बाद के मामले में यह देखना आवश्यक है कि क्या क़ानून एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और निर्धारण के लिए प्रावधान करता है।

अधिकार या दायित्व का और आगे यह निर्धारित करता है कि सभी

उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में प्रश्न होंगे

इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित, और क्या

आम तौर पर दीवानी अदालतों में कार्रवाई से जुड़े उपचार उक्त कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं या नहीं।

(3) विशेष अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देना

उस अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरणों के समक्ष अधिकार नहीं लाए जा सकते हैं। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी इस सवाल में नहीं जा सकता है।

के निर्णय से एक संशोधन या संदर्भ पर न्यायाधिकरण।

(4) जब किसी प्रावधान को पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है या किसी प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी जानी होती है, तो मुकदमा दायर किया जा सकता है। यदि दावा स्पष्ट रूप से सीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित समय के भीतर है, लेकिन यह एक अनिवार्य उपाय नहीं है तो प्रमाणपत्र की एक रिट में धनवापसी के लिए एक निर्देश शामिल हो सकता है।

एक सूट बदलें। (5) जहां विशेष अधिनियम में संवैधानिक सीमाओं से अधिक एकत्र किए गए कर की वापसी के लिए कोई तंत्र नहीं है या

अवैध रूप से एकत्र किया गया, एक मुकदमा झूठ बोलता है।

(6) मूल्यांकन की शुद्धता के सवाल अलग-अलग

इसकी संवैधानिकता से निर्णय के लिए हैं

यदि अधिकारियों के आदेशों को अंतिम घोषित किया जाता है या एक स्पष्ट आदेश होता है तो अधिकारी और दीवानी मुकदमा नहीं होता है।

विशेष अधिनियम में निषेध। किसी भी मामले में, योजना

विशेष अधिनियम की जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह एक प्रासंगिक पूछताछ।

(7) सिविल न्यायालय की अधिकारिता के बहिष्करण का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि उपरोक्त शर्तें लागू नहीं होती हैं।

53. धूला बाई (उपर्युक्त) में निर्धारित परीक्षणों के आलोक में और अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या सिविल न्यायालय की अधिकारिता को सिविल मुकदमे का मुकदमा चलाने में स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

विचाराधीन अधिनियम और दूसरा, क्या सिविल न्यायालय के पास अधिनियम के तहत आयोजित कार्यवाही को शून्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र है।

54. इस मुद्दे की जांच करने के बाद, हमारी स्पष्ट राय है कि वर्तमान मामला धूला बाई (उपरोक्त) के खंड (1) के तहत आता है और उसमें निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट करता है। अतः, दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को विचाराधीन दीवानी मुकदमे का परीक्षण करने के निहितार्थ से बाहर रखा गया है। हम निम्नलिखित कारणों से यह कहते हैंः -

सबसे पहले, विचाराधीन अधिनियम द्वारा पारित आदेशों को अंतिम रूप देता है

अपीलीय प्राधिकारी [धारा 33 (3) देखें]।

दूसरा, अधिनियम अपील की प्रकृति में पर्याप्त उपचार प्रदान करता है, जैसे कि न्यायाधिकरण में पहली अपील और उच्च न्यायालय में दूसरी अपील। [धारा 12 (4), 13 और 33 (1) का उल्लेख करें।

तीसरा, यह अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और इसमें अधिकता दी गई है।

अन्य कानूनों पर शक्तियाँ (धारा 42 का संदर्भ लें)। चौथा, अधिनियम धारा 30 और 40 के तहत आने वाले मामलों के संबंध में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाहर करता है।

(धारा 30 (5) और धारा 40 का उल्लेख करें।

पाँचवाँ, रिट याचिका और एस. एल. पी. को खारिज करने के परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि विचाराधीन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई थी।

विचाराधीन अधिनियम के अनुरूप।

55. उपरोक्त पाँच कारणों के आलोक में-एक फोर्टियोरी, अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों के संबंध में सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र माना जाता है। धुला बाई (ऊपर) के खंड (1) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए निहित रूप से बाहर रखा गया।

अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा की कार्यवाही के अधीन थे, जिन्हें निहित रूप से वर्जित माना जाता है, क्योंकि अधिनियम सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है। 57. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, हम शिकायत में प्रार्थना की गई राहत से पाते हैं (प्रार्थना (ए) से (डी) उद्धृत ऊपर देखें) कि वादी ने एक घोषणा की मांग की है, कि अधिसूचना दिनांक 12.02.1990 है।

अधिनियम की धारा 10 के तहत जारी किए गए बयान को अमान्य घोषित किया जाए; दूसरा, मेसर्स ओ. बी. एल. द्वारा दायर एक बयान-प्रतिवादी नं. 2 सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 6 के तहत अमान्य घोषित किया जाए; तीसरा, भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण अधिनियम, v.

डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर बयान को अमान्य घोषित किया जाए।

58. हमारी राय में, सिविल कोर्ट के पास यह देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

पूर्व-उल्लिखित राहतें क्योंकि इस तरह की राहत देने के लिए इसकी अधिकारिता अधिनियम के तहत निहित रूप से वर्जित है।

59. हमारे विचार में, यदि प्रतिवादी संख्या। 1 7 तक-वादी ने खुद को मुकदमे की संपत्ति के वैध मालिक और धारक होने का दावा किया

दूसरों को छोड़कर, कानून में तीन उपाय उपलब्ध थे जिनका वे लाभ उठा सकते थेः

(i) सबसे पहले, प्रत्यर्थी संख्या के पक्ष में उपार्जित एक उपाय। 1 7 तक, यदि पहले नहीं, जब मेसर्स ओ. बी. एल. ने 30.11.1962 पर कथित विक्रेताओं से सूट संपत्ति खरीदने का दावा किया था। यह उस समय था जब, सूट संपत्ति के संबंध में उनके कथित शीर्षक पर एक बादल छा गया था। चूँकि बिक्री विलेख का पंजीकरण एक सार्वजनिक सूचना के बराबर है, इसलिए प्रत्यर्थियों को मेसर्स ओ. बी. एल. और मेसर्स ओ. बी. एल. के विक्रेताओं के खिलाफ उनके स्वामित्व की घोषणा और मुकदमे के संबंध में उनके बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर करना चाहिए था। संपत्ति। इसका लाभ नहीं उठाया गया।

(ii) दूसरा उपाय अधिनियम की धारा 6 के तहत उत्पन्न हुआ, 1976 में अधिनियम के लागू होने के बाद सक्षम प्राधिकरण के समक्ष मुकदमा संपत्ति के मालिकों और धारकों के रूप में एक बयान दायर करने के लिए।

इसका भी वादी द्वारा लाभ नहीं उठाया गया।

(iii) तीसरा उपाय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत आपत्तियां दर्ज करने में था जब सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण ने 12.02.1990 पर जनता से आपत्तियां आमंत्रित कीं और इसके अनुसार, उस ओर से नोटिस जारी किया गया था। उत्तरदाताओं ने फिर से इस उपाय का लाभ नहीं उठाया, और कोई आपत्ति दर्ज करने में विफल रहे।

60. उत्तरदाता-वादी उचित समय पर तीनों उपायों में से किसी का भी लाभ उठाने में विफल रहने के बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय में दिनांकित अधिसूचनाओं को चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका दायर करने के चौथे उपाय का सहारा लिया। हालाँकि, इस रिट याचिका को उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने दिनांक 03.04.1997 के माध्यम से खारिज कर दिया था। इस न्यायालय द्वारा 1997 के एस. एल. पी. (सी) No.12726 में पारित दिनांक 28.07.1997 के आदेश द्वारा बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि की गई थी।

61. हमारी सुविचारित राय में, इस न्यायालय द्वारा आदेश 28.07.1997 के माध्यम से एस. एल. पी. की बर्खास्तगी का मुकदमे की संपत्ति के संबंध में एल. आई. एस. के पक्षों के अधिकारों पर तीन गुना प्रभाव पड़ाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सबसे पहले, अधिनियम की धारा 6 से 12.02.1990 और 11.05.1990 पर जारी अधिनियम की धारा 10 (1) और (3) के तहत अधिसूचना जारी होने तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई पूरी कार्रवाई को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप माना गया। यह खंड की अंतिम शर्त को संतुष्ट करता है

(1) धूला बाई (ऊपर) की भी। दूसरा, मुकदमे की संपत्ति राज्य में सभी से मुक्त थी।

अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत बाधाएं।

तीसरा, राज्य सरकार को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सभी को छोड़कर, 11.05.1990 पर और उसके बाद मालिक के रूप में मुक़दमे की संपत्ति के कानूनी कब्जे में माना गया था।

62. ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी Nos.1 से 7 तक किए गए अवलोकन के आधार पर दीवानी मुकदमा दायर करने का सहारा नहीं ले सके।

इस न्यायालय द्वारा।

63. जैसा कि ऊपर देखा गया है, यदि वाद संपत्ति के संबंध में प्रत्यर्थियों के लिए कोई उपाय उपलब्ध था, तो ऐसा कोई उपाय था -

अधिनियम के तहत लेकिन सिविल न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर करके नहीं और मुकदमे की संपत्ति के संबंध में मुकदमे का एक नया दौर शुरू करें। इस तरह का मुकदमा, हमारे विचार में, अधिनियम के तहत दीवानी न्यायालय की अधिकारिता के बहिष्करण के आलोक में निहित रूप से वर्जित था। 64. वास्तव में, हम नीचे उल्लिखित कई निर्णयित मामलों में दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों से अपने तर्क का समर्थन पाते हैं।

65. बिहार राज्य बनाम धीरेंद्र कुमार (1995) 4 एस. सी. सी. 229 में, एक सवाल उठा कि क्या एक दीवानी मुकदमा विचारणीय है, और यदि ऐसा है, तो

क्या सिविल न्यायालय द्वारा उस राज्य के खिलाफ ऐसे मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्यवाही धारा 9 के तहत जारी किए गए नोटिस के अनुसार की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, और इसके लाभार्थी को वितरित किया गया।

66. इस न्यायालय ने सी. पी. सी. की धारा 9 के साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम की योजना के संदर्भ में इस मुद्दे की जांच की

और अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के उद्देश्य और योजना को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम के तहत आने वाले मामलों से निपटने के लिए सिविल न्यायालय की अधिकारिता निहित रूप से बहिष्कृत है, और वर्जित है। निर्णय का पैरा 3 उपयुक्त है और निम्नानुसार हैः

" 3. सवाल यह है कि क्या एक दीवानी मुकदमा बनाए रखने योग्य है और

क्या विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है जहां भूमि के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (सीलिंग औरयूलेशन) अधिनियम, 1976 बनाम। डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई थी अधिनियम की धारा 9 के तहत जारी किए गए नोटिस के अनुसार

और लाभार्थी को वितरित किया गया। अधिनियम के प्रावधान राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं

सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा करने के लिए प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति।

राज्य को वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने का आदेश दिया गया है अधिनियम की धारा 4 और धारा 6 में उचित रूप से निहित

सीमा के भीतर अधिसूचना और घोषणा का प्रकाशन

और समाचार पत्रों में प्रकाशन के प्रक्रियात्मक कदम और स्थानीय

अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम के तहत परिकल्पित प्रकाशन

68 1984 से। अधिसूचनाओं और घोषणाओं के प्रकाशन में

निर्णायक हो जाता है। इसके बाद, राज्य का अधिकार है - भूमि अधिग्रहण अधिकारी को आगे बढ़ने के लिए अधिकृत करें

भूमि का अधिग्रहण करना और पुरस्कार देना। धारा 11-ए

अब 2 साल के भीतर पुरस्कार देने की सीमा निर्धारित की गई है।

धारा 6 के तहत परिकल्पित प्रकाशन की अंतिम तिथि से

अधिनियम से। एक उपयुक्त मामले में, जहां सरकार भूमि पर तत्काल अधिकार की आवश्यकता है, यह प्रयोग करेगा

धारा 5-ए के तहत जांच। इस प्रकार, राज्य का अधिकार है धारा 9 के तहत और समाप्ति पर पक्षों को नोटिस जारी करना।

15 दिनों के लिए, राज्य तत्काल लेने का हकदार है।

पुरस्कार दिए जाने से पहले ही कब्जा कर लिया।

अन्यथा, यह पुरस्कार के बाद कब्जा कर लेगा

धारा 12. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि अधिनियम एक पूर्ण है

कोड अपने आप में और सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। हम हैं,

इसलिए, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, यह सोचने के लिए इच्छुक है कि

आवश्यक निहितार्थ सिविल न्यायालय की लेने की शक्ति सी. पी. सी. की धारा 9 के तहत मामले का संज्ञान लिया गया है।

बाहर रखा गया है, और एक दीवानी अदालत के पास इसमें जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

अधिसूचना की वैधता या वैधता का सवाल

धारा 4 और धारा 6 के तहत घोषणा, उच्च द्वारा छोड़कर

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही में न्यायालय।

इसलिए, दीवानी मुकदमा स्वयं रखरखाव योग्य नहीं था।

(जोर दिया गया)

67. यह मुद्दा फिर दूसरे में विचार के लिए आया।

लक्ष्मी चंद बनाम ग्राम पंचायत करारिया [2019] 4 एस. सी. आर. मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

5) 7 एससीसी 218। उस मामले में, यह सवाल उठा कि क्या भूमि अधिग्रहण के रखरखाव योग्य के तहत पारित निर्णय को चुनौती देने के लिए दायर किया गया मुकदमा और यदि ऐसा है, तो क्या सिविल कोर्ट को अपने गुण-दोष के आधार पर उसमें उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए इस तरह के मुकदमे को दायर करने का अधिकार क्षेत्र है।

68. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सिविल न्यायालय के पास इस तरह के दीवानी मुकदमे को उसके गुण-दोष के आधार पर चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधिनियम के उद्देश्य और योजना को ध्यान में रखते हुए इसका अधिकार क्षेत्र निहित रूप से है। पारस 2

निर्णय उपयुक्त हैं और निम्नानुसार पढ़े जाते हैंः

" 2 ..... यह देखा गया है कि सिविल प्रक्रिया की धारा 9

संहिता, 1908 सिविल न्यायालय को सभी पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।

सिविल सूट, जब तक कि वर्जित न हो। सिविल के एक मुकदमे का संज्ञान

प्रकृति को या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बाधित किया जा सकता है। द. अधिनियम के तहत विचार की गई प्रक्रिया एक विशेष है

सार्वजनिक उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए परिकल्पित प्रक्रिया, सार्वजनिक उद्देश्य के उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से भूमि का अधिग्रहण।

धारा 4 के तहत अधिसूचना और इसके तहत घोषणा अधिनियम की धारा 6 में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है

उसके तहत विचार किया गया तरीका। अनुमान देता है

सार्वजनिक उद्देश्य और उसमें उल्लिखित भूमि के विस्तार के लिए निर्णायकता। पुरस्कार के तहत किया जाना चाहिए

धारा 11, जैसा कि इसके तहत परिकल्पित है। असंतुष्ट

दावेदार को संदर्भ का उपाय प्रदान किया जाता है धारा 18 और धारा 54 के तहत एक और अपील

एक्ट करें। अगर सरकार पीछे हटने का इरादा रखती है

भूमि का कब्जा लेने से पहले, धारा 48 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। यदि कब्जा ले लिया जाता है, तो यह राज्य में धारा 16 के तहत निहित है, जिसमें पूर्ण स्वामित्व सभी बाधाओं से मुक्त है और सरकार के पास अधिग्रहण से पीछे हटने की कोई शक्ति नहीं है।

3. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि अधिनियम की योजना अपने आप में पूर्ण है और इस प्रकार अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों का संज्ञान लेने के लिए दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, आवश्यक निहितार्थ से, वर्जित था। दीवानी अदालत इस प्रकार से रहित है

की अयोग्यता पर घोषणा करने का अधिकार क्षेत्र

अधिनियम के तहत विचार की गई प्रक्रिया। एकमात्र अधिकार एक

पीड़ित व्यक्ति को संवैधानिक अदालतों से संपर्क करना होता है।

, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपने भूमि (अधिभार और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के तहत। डेविड मंटोश [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

क्रमशः अनुच्छेद 226 और 136 के तहत पूर्ण शक्ति

उनके असाधारण अभ्यास पर स्व-लगाए गए प्रतिबंध

शक्ति। इसके अलावा, दीवानी अदालत के पास कोई शक्ति नहीं है।

(जोर दिया गया)

69. इस विचार को इस न्यायालय ने बाद के दो फैसलों में दोहराया था।

(बैंगलोर विकास प्राधिकरण बनाम के. एस. नारायण (2006) 8 एस. सी. सी. 336 और पंजाब राज्य बनाम अमरजीत सिंह (2011) 14 एस. सी. सी. 713)।

70. भूमि अधिग्रहण अधिनियम की योजना की तुलना करने पर

विचाराधीन वर्तमान अधिनियम की योजना में, हम पाते हैं कि विधानमंडल का इरादा विचाराधीन अधिनियम के तहत दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने में अधिक स्पष्ट है।

71. वास्तव में, यह धारा 12 (4), 13,30 के पठन से स्पष्ट है,

33 (1) , 33 (3) , 33 (5) और विचाराधीन अधिनियम का 40। हम यह भी पाते हैं कि विचाराधीन अधिनियम की कुछ धाराएँ जिनका इस प्रश्न से संबंध है -

दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धाराओं के समान है, जबकि अधिनियम की कुछ धाराएं जो इस प्रश्न पर भी असर डालती हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में नहीं पाई जाती हैं। फिर भी, इस न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की योजना और उसमें प्रदान किए गए उपायों की जांच करने पर यह अभिनिर्धारित किया है कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता को निहित रूप से बाहर रखा गया है और दीवानी मुकदमे की सुनवाई करने से रोक दिया गया है। अतः इस अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन उसमें निहित रूप से प्रदान किया गया है।

72. इन सभी कारणों से, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि

दीवानी न्यायालय के पास उस भूमि के संबंध में दीवानी मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो विचाराधीन अधिनियम के तहत अधिकतम कार्यवाही के अधीन है और न ही दीवानी न्यायालय के पास कार्यवाही घोषित करने का अधिकार क्षेत्र था।

अधिनियम के तहत अमान्य या अवैध या गैर-कानूनी के रूप में अभिनिर्धारित किया गया, क्योंकि इसे अधिनियम के तहत निहित रूप से बहिष्कृत और वर्जित किया गया था।

73. श्री ध्रुव मेहता, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

- वादी ने मामले के तथ्यों पर जोरदार तर्क दिया, जो ऊपर विस्तार से दिए गए हैं, कि तथ्यों के अवलोकन से यह पता चलता है कि वादी ने अपने पूर्ववर्ती से मुकदमे की संपत्ति पर अपना अधिकार कैसे प्राप्त किया, और पूर्वाग्रह जो उनके खिलाफ आगे बढ़ने वाली सीलिंग कार्यवाही से उनके कारण हुआ था।

74. हम प्रतिवादी संख्या की ओर से की गई दलीलों और प्रस्तुतियों को अस्वीकार करते हैं। 1 7/वादियों के लिए क्योंकि हमने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि दीवानी न्यायालय को इस संबंध में दीवानी मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था - शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही, एक विशेष और स्व-निहित अधिनियम है।

75. इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं। 1 7/वादी किसी भी स्तर पर अधिकतम सीमा की कार्यवाही पर आपत्तियां उठाने में विफल रहने पर, वाद संपत्ति राज्य में निहित थी, जो सभी बाधाओं से मुक्त थी। द. इसके लिए देर से चुनौती देना व्यर्थ है। शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठाने में विफल रहने और इसका सहारा लेने के परिणामस्वरूप इस न्यायालय में किए गए दावे को अस्वीकार कर दिया गया, प्रत्यर्थी संख्या। 1 7/वादी ने एक दीवानी मुकदमा दायर करके मुकदमे का एक नया दौर शुरू करने की मांग की, जो अधिनियम के तहत वर्जित था। इसके अलावा, राज्य ने सूट भूमि पर स्वामित्व प्राप्त करने के बाद सूट भूमि एम/को आवंटित कर दी है।

अपोलो ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल्स 30 साल के पट्टे पर। इसलिए, हमारे विचार में, स्थिति अब अपरिवर्तनीय हो गई है।

76. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि खंड पीठ ने प्रत्यर्थियों की अपील को स्वीकार करने में न्यायसंगत नहीं था,

और दीवानी मुक़दमे का आदेश देना जबकि निचली अदालत दीवानी मुक़दमे को ख़ारिज करने में सही थी।

77. नतीजतन, अपील सफल होती हैं और उन्हें अनुमति दी जाती है। विवादित निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है और विचारण न्यायालय का निर्णय है पुनर्स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी सं. द्वारा दायर मुकदमा। 1 जिन 7 अपीलों में से ये अपीलें उठती हैं, उन्हें खर्च के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया जाता है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी